

**न्यायालय सहायक क्लर्क एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**

पीठारसीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस10 )

वाद सं0 : 233 सन 2020

अनवान :-

1. गंगाधर पुत्र सन्तलाल जाति भार्गव ( डाकोत ) साकिन नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. महेन्द्र पुत्र रत्तु उर्फ रलदुराम जाति भार्गव ( डाकोत ) साकिन नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. हरिराम पुत्र रत्तुराम उर्फ रलदुराम जाति भार्गव ( डाकोत ) साकिन नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
2. शिवभगवान पुत्र रत्तुराम उर्फ रलदुराम जाति भार्गव ( डाकोत ) साकिन नोहर तहसील नोहर
3. मनीराम पुत्र रत्तुराम उर्फ रलदुराम जाति भार्गव ( डाकोत ) साकिन नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. जगदीश प्रसाद पुत्र सन्तलाल जाति भार्गव ( डाकोत ) साकिन नोहर तहसील नोहर
5. शिवरतन पुत्र सन्तलाल जाति भार्गव ( डाकोत ) साकिन नोहर तहसील नोहर
6. दीपक भार्गव पुत्र दुर्गादत जाति भार्गव ( डाकोत ) साकिन नोहर तहसील नोहर
7. सुरेन्द्र भार्गव पुत्र दुर्गादत जाति भार्गव ( डाकोत ) साकिन नोहर तहसील नोहर
8. पूजा पुत्री स्व दुर्गादत जाति भार्गव ( डाकोत ) साकिन नोहर तहसील नोहर
9. मैनादेवी पुत्री रतु उर्फ रलदुराम जाति भार्गव ( डाकोत ) साकिन नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
10. कुसमलता पुत्री स्व विमलादेवी पुत्री रतु उर्फ रलदुराम जाति भार्गव ( डाकोत ) साकिन नोहर तहसील नोहर
11. सुनील पुत्र स्व विमलादेवी पुत्री रतु उर्फ रलदुराम जाति भार्गव ( डाकोत ) साकिन नोहर तहसील नोहर
12. कपित पुत्र स्व विमलादेवी पुत्री रतु उर्फ रलदुराम जाति भार्गव ( डाकोत ) साकिन नोहर तहसील नोहर
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

परोकार राज

निर्णय दिनांक :-

25/08/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 14 बरानी के खाता संख्या 65/57 की कुल 11.8910हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के दादा रत्तु पुत्र मेधराज के नाम से दर्ज है।

वादी के दादा रत्तु वल्द मेधराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज जो वादी दादा है वादी के दादा रत्तु पुत्र मेधराज का देहान्त हो चुका है रत्तु पुत्र मेधराज की पत्नी हरदेई का भी देहान्त हो चुका है तथा रत्तु पुत्र मेधराज की पुत्री विमला व पुत्र सन्तलाल , दुर्गादत का देहान्त हो चुका है इसप्रकार रत्तु पुत्र मेधराज के देहान्त होने के वाद उसके जायज व कानुनी वारिसान उनके पुत्र पुत्रीया एवं पुत्री बिमलादेवी व पुत्र सन्तलाल व दुर्गाराम के पुत्र है क्योंकि विमलादेवी , सन्तलाल , दुर्गादत का देहान्त हो चुका है।

वादी के दादा रत्तु पुत्र मेधराज के देहान्त होने के बाद उनके जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 है जो रत्तु पुत्र मेधराज के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड करवाने के अधिकारी है

प्रतिवादी संख्या 8 ता 12 वादी की बहने मृतक बहन विमलादेवी के वारिसान है एव एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 8 ता 13 ने अपने हक हिस्सा की भूमि

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 बहिव के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि रत्तु पुत्र मेधराज के नाम से दर्ज है जो वादी के दादा है जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 है जो मनफुलसिह के नाम दर्ज भूमि को पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 8 ता 12 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 13 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 14 बाराणी के खाता संख्या 65/57 की कुल 11.8910 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के दादा रत्तु पुत्र मेधराज के नाम से दर्ज है।

वादी के दादा रत्तु वल्द मेधराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज जो वादी दादा है वादी के दादा रत्तु पुत्र मेधराज का देहान्त हो चुका है रत्तु पुत्र मेधराज की पत्नी हरदेई का भी देहान्त हो चुका है तथा रत्तु पुत्र मेधराज की पुत्री विमला व पुत्र सन्तलाल , दुर्गादत का देहान्त हो चुका है इसप्रकार रत्तु पुत्र मेधराज के देहान्त होने के वाद उसके जायज व कानुनी वारिसान उनके पुत्र पुत्रीया एवं पुत्री विमलादेवी व पुत्र सन्तलाल व दुर्गाराम के पुत्र है क्योंकि विमलादेवी , सन्तलाल , दुर्गादत का देहान्त हो चुका है।

वादी के दादा रत्तु पुत्र मेधराज के देहान्त होने के बाद उनके जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 है जो रत्तु पुत्र मेधराज के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड करवाने के अधिकारी है

प्रतिवादी संख्या 8 ता 12 वादी की बहने मृतक बहन विमलादेवी के वारिसान है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 8 ता 13 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम उनके हक हिस्सा के अनुसार दर्ज की जाती है तो कोई ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा भी पेश किया जा चुका है

अधिकारी  
कोहर

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति / राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 14 बरानी के खाता संख्या 65/57 की कुल 11.8910 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के दादा रत्तु पुत्र मेधराज के नाम से दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 रोही मौजा जबरारसर के अनुसार वाद भूमि रत्तु पुत्र मेधराज के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि वादी के पिता रत्तु पुत्र मेधराज के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है रत्तु पुत्र मेधराज के जायज व कानुनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 है जो मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्रों से साबित है अर्थात रत्तु पुत्र मेधराज के नाम से दर्ज भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 अपने हक हिस्सा के अनुसार विरास्तन से वाद भूमि अपने नाम से दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 8 ता 12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 8 ता 12 स्वय उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्चा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 8 ता 12 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 बरानी के खाता संख्या 65/57 की कुल 11.8910 हैक् भूमि में सयुक्त तौर से मृतक रतु वल्द मधाराम के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा में से रत्तु वल्द मधाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 बहिब 1/18 हिस्सा व वादी संख्या 2 अकेला 1/8 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब 1/18 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 6 , 7 बहिब 1/18 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाबा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/8/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

उपरोक्त अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ़)

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाका दिवानी )

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. गंगाधर पुत्र सन्तलाल जाति भार्गव ( डाकोत ) साकिन नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. महेन्द्र पुत्र रत्तु उर्फ रलदुराम जाति भार्गव ( डाकोत ) साकिन नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. हरिराम पुत्र रत्तुराम उर्फ रलदुराम जाति भार्गव ( डाकोत ) साकिन नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
2. शिवभगवान पुत्र रत्तुराम उर्फ रलदुराम जाति भार्गव ( डाकोत ) साकिन नोहर तहसील नोहर
3. मनीराम पुत्र रत्तुराम उर्फ रलदुराम जाति भार्गव ( डाकोत ) साकिन नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. जगदीश प्रसाद पुत्र सन्तलाल जाति भार्गव ( डाकोत ) साकिन नोहर तहसील नोहर
5. शिवरतन पुत्र सन्तलाल जाति भार्गव ( डाकोत ) साकिन नोहर तहसील नोहर
6. दीपक भार्गव पुत्र दुर्गादत्त जाति भार्गव ( डाकोत ) साकिन नोहर तहसील नोहर
7. सुरेन्द्र भार्गव पुत्र दुर्गादत्त जाति भार्गव ( डाकोत ) साकिन नोहर तहसील नोहर
8. पूजा पुत्री स्व दुर्गादत्त जाति भार्गव ( डाकोत ) साकिन नोहर तहसील नोहर
9. मैनादेवी पुत्री रतु उर्फ रलदुराम जाति भार्गव ( डाकोत ) साकिन नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
10. कुसमलता पुत्री स्व विमलादेवी पुत्री रतु उर्फ रलदुराम जाति भार्गव ( डाकोत ) साकिन नोहर तहसील नोहर
11. सुनील पुत्र स्व विमलादेवी पुत्री रतु उर्फ रलदुराम जाति भार्गव ( डाकोत ) साकिन नोहर तहसील नोहर
12. कपित पुत्र स्व विमलादेवी पुत्री रतु उर्फ रलदुराम जाति भार्गव ( डाकोत ) साकिन नोहर तहसील नोहर
13. राजस्थान सरकार जसिये-तहसीलदार-राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 233 सन 2020 निर्णय दिनांक-25/8/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता-वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 बारानी के खाता संख्या 65/57 की कुल 11.8910 हेक् भूमि में सयुक्त तौर से मृतक रतु वल्द मधाराम के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा में से रत्तु वल्द मधाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 बहिब 1/18 हिस्सा व वादी संख्या 2 अकेला 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6, 7 बहिब 1/18 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/8/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )